राज्य परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

द्वितीय तल, छ.ग. माध्य. शिक्षा मण्डल परिसर,
पेंशन बाड़ा, रायपुर, फोन नं. 0771–2445052
ई–मेल आई.डी.– mis.head@gmail.com

समग्र शिक्षा के पुस्तकालय अनुदान वर्ष 2023–24 अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय प्राथमिक (कक्षा 1–5), उच्च प्राथमिक (कक्षा 6–8) एवं हाई/हायर सेकेण्डरी (कक्षा 9–12) विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें आपूर्ति करने हेतु **प्रकाशकों के लिए निविदा (EOI) हेतु** सामान्य निर्देश

1. आवेदन पत्र का मूल्यः रू 1000.00 (आवेदन फार्म जमा करते समय डी.डी. पृथक से संलग्न करे)
2. **राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ के वेबसाईट से डाउनलोड कर आवेदन फार्म डाक/कोरियर के माध्यम अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा करने की अंतिम तिथि 22.08.2023 को सायं 05:00 बजे तक है।**
3. **आवेदन जमा करने का पताः–** कार्यालय प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, द्वितीय तल, छ.ग. माध्य. शिक्षा मण्डल परिसर पेंशन बाड़ा, रायपुर (छ.ग.) पिन कोड–492001 (फोन नं.– 0771–2445052)

आवेदन पत्र की कुल पृष्ठ संख्या : 10

आवेदन पत्र की कुल परिशिष्ट संख्या : 5

आवेदन पत्र डाउनलोड करने का दिनांक :....................................

सील एवं हस्ताक्षर

–:आवेदन –पत्र :–

परिशिष्ट– एक

(प्रकाशक के संबंध में)

1. प्रकाशन का नाम ....
2. पूर्ण पता (स्पष्ट अक्षरों में) : ....
....
....पिन कोड ....
3. दूरभाष नम्बर/मोबाईल नम्बर : ....
4. प्रकाशन के स्वामी/भागीदार का पूरा नामः ....
5. स्वामी/भागीदार का पूर्ण पताः ....
(स्पष्ट अक्षरों में) ....
....पिन कोड ....
6. दूरभाष नम्बर मोबाईल नम्बर ....
7. ई मेल आईडी ....
(फर्म का ई मेल आईडी होना अनिवार्य है।)
8. प्रकाशन/स्वामी का स्थायी लेखा संख्या/PNR : ....
9. प्रकाशन का बैंक एकाउंट नं0 ....बैंक शाखा का नाम व पता ....
बैंक का IFSC कोड..
10. प्रकाशक द्वारा जमा की गई नमूनार्थ शीर्षकों के नाम (अधिकतम 15 पुस्तकें)
1...............................2...................................3..................................4...............................
5.......................................6.......................................7....................................8.........................
9...10.......................................11................................12.........................
13...14...15..
11. पुस्तक समीक्षा शुल्क हेतु जमा की गई राशि का विवरणः राशि रूपये ....
डी.डी. क्रमांक ....दिनांक ....बैंक शाखा का नाम व पता ....
12. GST No- ....
13. प्रकाशक का किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होने का प्रमाण पत्र
14. विगत 03 वर्षो का कार्यानुभव ....

दिनांक

स्वामी के हस्ताक्षर
प्रकाशन की मुहर

निर्देशः यह परिशिष्ट प्रकाशन इकाई के स्वामी द्वारा पूर्ण स्पष्ट रूप से भरकर एवं मुहर सहित स्वयं के हस्ताक्षर से जमा किया जाना आवश्यक है। अपूर्ण एवं अस्पष्ट रूप से भरे आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

परिशिष्ट– दो
(बैंक एकाउंट के संबंध में प्रमाण–पत्र)

प्रति

प्रबंध संचालक
राज्य परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा, रायपुर (छ.ग.)

स्वामी/भागीदार का नवीनतम फोटो बैंक शाखा प्रंबधक द्वारा मुहर सहित अभिप्रमाणित

1. प्रकाशक का नाम (पूर्ण एवं स्पष्ट)..
2. पता (पूर्ण एवं स्पष्ट) : ....
3. स्वामी/भागीदार का नाम (पूर्ण एवं स्पष्ट) ....
4. बैंक खाता क्रमांक (पूर्ण एवं स्पष्ट) ....
5. बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड क्रमांक..
6. बैंक का पूर्ण पता..

(बैंक का खाता कोर बैकिंग वाले राष्ट्रीयकृत बैंक का होना अनिवार्य हैं।)

7. उपरोक्त खाता दिनांक ....से संचालित है, एवं इसमें विगत ....वर्ष से वित्तीय व्यवहार हो रहा है। वर्तमान में यह खाता जीवित है।

दिनांक............................
स्थान..............................

बैंक शाखा प्रंबधक के हस्ताक्षर
व बैंक की मुहर

निर्देश :– यह परिशिष्ट प्रकाशन इकाई द्वारा बैंक के शाखा प्रबंधक से मुहर सहित अभिप्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है। पुस्तकालय संबंधी सुरक्षा निधि की वापसी व देयकों का भुगतान इसी खाते में RTGS के माध्यम से किये जावेगें। परीक्षण के दौरान अपूर्ण एवं अस्पष्ट जानकारी पाये जाने पर आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा। बैंक खाता बंद होने, अपूर्ण एवं अस्पष्ट होने से भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी प्रकाशक की होगी।

परिशिष्ट– तीन

(पुस्तकों के संबंध में)

1. इस योजनान्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय प्राथमिक (कक्षा 1–5), उच्च प्राथमिक (कक्षा 6–8) एवं हाई/हायर सेकेण्डरी (कक्षा 9–12) विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए छात्रोपयोगी एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें क्रय किया जाना है। **(पाठ्यपुस्तकों को छोड़कर)**
2. छात्रों की पुस्तकें मनोरंजक, ज्ञानवर्धक, पर्यावरण से संबंधित , नैतिक, राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्यों एवं स्वरोजगार एवं नेतृत्व क्षमता को विकसित करने वाली, स्वावलंबी बनाने वाली, देशभक्ति तथा महापुरूषों के प्रति आदर को बढ़ाने वाली, बच्चों की तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान एवं कौशलों को विकसित करने वाली एवं छत्तीसगढ़ राज्य की कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, पर्व एवं प्रेरक जीवनियों की जानकारी देने वाली होनी चाहिये।
3. प्रकाशकों द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की क्षेत्रीय/स्थानीय भाषा छत्तीसगढ़ी के साथ हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ की जनजातीय भाषा की उपयोगी पुस्तकें ही जमा की जायेंगी। अन्य भाषा की पुस्तकें स्वीकार नहीं होगी।
4. पुस्तकें Story books , बालोपयोगी Magazines और Comics, विभिन्न महान हस्तियों की आटो–बायोग्राफी, तेनाली राम, पंचतंत्र, मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, नशामुक्ति, कला, खेल के नियमों से संबंधित, पर्यावरण एवं जल संरक्षण, संदर्भ पुस्तक, संगीत एवं डिजाइन की होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक, परीक्षा संबंधी पुस्तक व सामग्री एवं ऐसी पुस्तकें जो 18 वर्ष तक विद्यार्थियों के लिए उचित/उपयोगी नहीं है अथवा विवादित हो, पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. पुस्तकों का वर्गीकरण विद्यार्थियों के आयु समूह को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। कक्षा 1 से 5वी तक बुलबुल, कक्षा 6–8 तक कोयल एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पुस्तकों को मैना श्रेणी के नाम से जाना जायेगा।
6. सभी पुस्तकों के कवर पेज पर बुलबुल/कोयल/मैना LOGO मुद्रित किया जाएगा अथवा Sticker लगाया जायेगा, इसके साथ ही **समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़** एवं जिस वर्ष पुस्तक क्रय किया गया है उस वर्ष (year 2023-24) के साथ Only Govt supply, Not for sale अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। LOGO भारत सरकार के वेब साईट . https://indianschoollibraryassociationonline.files.wordpress.com/2020/05/lib_grants.pdf से डाउनलोड किया जावे, अन्य चित्र (LOGO) मान्य नही होगें।
7. पुस्तक की विषयवस्तु विवादास्पद न हो। पुस्तक सरल और आसान भाषा में लिखी गई हो किन्तु पाठ्यवस्तु गुणवत्तापूर्ण हो। आकर्षक और साफ–सुथरे रूप में मुद्रित हो एवं रूचि पूर्ण और शिक्षाप्रद हो।
8. छात्रों के लिए प्रस्तुत पुस्तकों में ऐसा कोई भी शब्द या वाक्य नहीं होना चाहिए जो किसी जाति, धर्म या संप्रदाय विशेष की भावनाओं को आहत करे एवं बच्चों के मनः स्थिति तथा चरित्र पर विपरीत प्रभाव डाले। पुस्तक के किसी अंश में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उसकी राशि प्रकाशक को नही दी जावेगी। सम्पूर्ण जवाबदारी प्रकाशक की होगी।

9. छात्रों के लिए प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तकों का छूट उपरांत अधिकतम मूल्य प्राथमिक –60.00 रू., उच्च प्राथमिक –150.00 एवं हाई व हायर सेकेण्डरी– 300.00 रूपये होना चाहिए।

10. नमूने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली शीर्षको की पुस्तकों की दो–दो प्रति विचारार्थ प्राप्त होने चाहिए एवं प्रत्येक सेट के ऊपर प्रकाशक का नाम, पता एवं फोन नं./मो.नं एवं जमा की गई कुल पुस्तकों की संख्या **बोल्ड अक्षर** में लिखा होना चाहिए। इन नमूना प्रतियों को न चुने जाने की स्थिति में प्रकाशक/लेखक/संपादक को लौटाया नहीं जायेगा।

11. सूची पत्र में प्रत्येक प्रस्तावित पुस्तक/पत्रिका का **आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन.** का उल्लेख अवश्य हो ।

12. प्रकाशक को इस आशय का **शपथ पत्र** जमा करना होगा कि उसके द्वारा नमूने के तौर पर जमा कराई गई पुस्तकों में दिये गये आई0एस0बी0एन0 नम्बर को अन्य किसी पुस्तक में इस्तेमाल नहीं किया गया है। परीक्षण में गलत पाये जाने पर प्रकाशक पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी एवं प्रकाशन इकाई को काली सूची में डाला जाएगा।

13. किसी प्रकाशक /लेखक से संबंधित कोई सूचना या आंकड़ा जैसे पैन नम्बर, पंजीकरण संख्या आदि गलत या अपूर्ण पाये जाने पर भी उसकी पुस्तकें/पत्रिका विचारणीय नहीं होगी।

14. प्रस्तुत की जाने वाली सभी पुस्तकों में कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाएंगी।

15. समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ में पुस्तकालय अनुदान अंतर्गत वर्ष 2022–23 में शालाओं को आपूर्ति की गई पुस्तकों को पुनः वर्तमान सत्र 2023–24 हेतु जमा न किया जावे।

परिशिष्ट– चार

आवश्यक नियम एवं शर्ते

परिशिष्ट एक से तीन में दिये गये विवरण के अतिरिक्त निम्नांकित नियम व शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

1. आवेदन फार्म को बंद लिफाफा में तकनीकी जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा।
   - A. आवेदन जमा करने वाले प्रकाशक को कम से कम 05 वर्ष का प्रकाशन कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। उक्त आशय हेतु परिशिष्ट–2 जमा करना होगा। **(फर्म का ही विवरण दिया जाए)**
   - B. **पैन कार्ड की छायाप्रति** स्वयं के द्वारा सत्यापित कर आवदेन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
   - C. आवेदन जमा करने के समय 1,00,000/– रूपये (अक्षरी एक लाख) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो **प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर** के नाम देय हो, सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना अनिवार्य है। उक्त राशि संपूर्ण क्रय प्रक्रिया उपरांत वापस की जाएगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
   - D. उन्हीं प्रकाशकों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जाएंगे जिनके प्रकाशन ईकाई का बैंक खाता विज्ञापन प्रसारित होने की तिथि से 05 वर्ष पूर्व का होगा एवं प्रकाशक इकाई का सत्र 2021–22 में न्यूनतम टर्न **ओवर आठ लाख** रूपये का होना अनिवार्य है। टर्न ओवर हेतु सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (शासकीय प्रकाशन संस्थाओं में यह नियम लागू नहीं होगा।)
   - E. पुस्तकों के **आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन.** से संबंधित दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति (स्वयं के द्वारा) जमा करना अनिवार्य है।
   - F. **GST** विभाग में आवेदक फर्म का पंजीयन होना चाहिये तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में जिस सामग्री के लिये EOI की गई है, उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यदि **GST** पंजीयन आप पर लागू न होता हो तो उस संबंध में शपथ पत्र जो सी.ए. द्वारा अनिवार्य रूप से प्रमाणित हो, प्रस्तुत करना होगा।
   - G. प्रकाशकों को आवेदन पत्र के साथ वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 कर निर्धारण वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 क्रमशः का आयकर रिटर्न स्वप्रमाणित कर जमा करना होगा।

2. एक पैन (PAN) संख्या पर एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा।

3. प्रत्येक प्रकाशक से तीनो स्तर के लिए अलग–अलग **अधिकतम 05 (तीनो स्तर को मिलाकर कुल 15)** शीर्षक की पुस्तकें ही जमा की जाएंगी। (शासकीय प्रकाशन संस्थाओं मे यह नियम लागू नही होगा।) तथापि पुस्तकों की संख्या का निर्धारण पुस्तक समिति के विशेषाधिकार में होगा। समस्त दस्तावेज संलग्न एवं सही पाए जाने पर ही पुस्तक सूची का अवलोकन किया जावेगा।
4. प्रकाशकों को प्रस्तुत की जानी वाली पुस्तक पर प्रत्येक शीर्षक के लिए **150.00 रूपये** समीक्षा शुल्क देना होगा।
5. समीक्षा शुल्क केवल राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा स्वीकार किया जाएगा जो **प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ, रायपुर** के नाम देय होगा।
6. आदेशित पुस्तकों की नेट राशि की **3.50 प्रतिशत** राशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा पुस्तक आपूर्ति के समय जमा करना होगा। इस राशि का उपयोग राज्य के विभिन्न विद्यालयों तक पुस्तकों के परिवहन, बंडलिंग, रख–रखाव एवं शालाओं में पुस्तकालय की व्यवस्था के लिए किया जावेगा।
7. भुगतान पर आयकर नियम के अनुसार **TDS** की कटौती की जावेगी।
8. नमूनों के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तकें एवं आदेश उपरांत आपूर्ति की जाने वाली पुस्तकों में किसी भी प्रकार की भिन्नता (कवर पेज, कागज, पृष्ठ छपाई आदि) पाये जाने पर क्रय आदेश निरस्त किया जाएगा एवं संबंधित प्रकाशकों के विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
9. किसी भी स्थिति में स्टीकर लगे, अलग से लिखे या चस्पा किये मूल्य की पुस्तकें स्वीकार नहीं की जायेगी, साथ ही पुरानी पुस्तकों पर नये मूल्य का पेज पाये जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
10. पुस्तकें रायपुर तक पहुंचाने पर भौतिक सत्यापन के समय यदि पुस्तकों के पेज कटे–फटे या कुछ पेज गायब पाये जाते है तो ऐसी पुस्तकों के सैट मान्य नहीं होगें। अमान्य पुस्तकों का मूल्य काटकर भुगतान किया जावेगा।
11. किसी प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित पुस्तक की हू–ब–हू नकल कर/कव्हर पेज बदलकर आवेदित प्रकाशक द्वारा नमूने हेतु जमा की गई पुस्तकों को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि भूलवश चयनित हो जाती है तो आदेश निरस्त किया जावेगा।
12. पुस्तकों का मूल्य अन्दर के पृष्ठ पर मुद्रित होना चाहिए।
13. ऐसी पुस्तकें ही विचारार्थ भेजी जाएं जो वर्ष 2021–2022 या उसके बाद की अवधि प्रकाशित हुई हों और जिन्हें किसी संस्थागत/सरकारी अनुदान से प्रकाशित न किया गया हो।
14. प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तकों के संबंध में कॉपीराइट की जिम्मेदारी प्रकाशक की होगी।
15. आवेदन पत्र के साथ पुस्तकें जमा करते समय पुस्तकों के संबंध में परिशिष्ट–5 में वर्णित कॉलम की जानकारी 16 जी.बी. पेनड्राइव में ए–3 शीट पर एक्सल फार्म में, कृतिदेव–10 एवं फोंट साईज–14 में ही जमा करना अनिवार्य है। पेनड्राइव जमा करने के पूर्व उसे चलाकर भली–भांति जांच कर लें। पेनड्राइव नहीं खुलने पर उन पुस्तकों पर विचार नहीं किया जायेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रकाशक की होगी। **परिशिष्ट 5 की जानकारी तीन प्रति हार्ड कापी में भी देना अनिवार्य है।**

16. आवेदन पत्र जमा करते समय प्रकाशकों को अपने लेटर पेड पर मुहर लगाकर **शपथ–पत्र** देना होगा कि उसे आवेदन पत्र की सभी शर्तें मान्य हैं तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर इसके लिए वह जिम्मेदार होगा तथा हर मामले में प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। किसी भी तरह के विवाद की स्थिति के लिए छत्तीसगढ़ उच्च्य न्यायालय, बिलासपुर का क्षेत्राधिकार होगा।
17. आवेदन पत्र जमा करते समय पत्र व्यवहार हेतु प्रकाशन इकाई के पूर्ण, सही पता एवं मो.नं. लिखे हुए 10X30 से.मी. साईज के **दो प्लास्टिक कोटेट लिफाफे (स्पीड पोस्ट की राशि का टिकट लगा)** जमा करना अनिवार्य है।
18. आदेशित पुस्तकों की आपूर्ति आदेश दिनांक से 30 दिवसों के अन्दर करनी होगी। पुस्तकों की आपूर्ति आदेशानुसार संख्या में संबंधित स्थान पर की जाएगी। पुस्तकों को रायपुर तक सुरक्षित एवं अच्छी दशा में आपूर्ति का दायित्व स्वयं प्रकाशक का होगा तथा पुस्तकों के परिवहन (लोडिंग व अनलोडिंग सहित) एवं पैकिंग इत्यादि के बदले **इस कार्यालय द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जाएगा।**
19. क्रयादेश में वर्णित शर्तो का पालन न करने पर सुरक्षा निधि की राशि राजसात कर ली जावेगी।
20. बिना कारण बताये किसी भी समय EOI संबंधी कार्यवाही निरस्त करने का अधिकार **प्रबंध संचालक, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर** को होगा।
21. परिशिष्ट–03 एवं 04 की शर्तों को पूरा करते हुये परिशिष्ट 01 एवं 02 के फार्म पूरी तरह भरकर जमा करना अनिवार्य है।
22. सशर्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
23. पुस्तक चयन के संबंध में सर्वाधिकार **राज्य स्तरीय पुस्तक चयन समिति** का होगा।
24. पुस्तक चयन प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की पूछताछ/पड़ताल मान्य नहीं होगा। चयन के मामले में प्रकाशकों एवं संस्थाओं द्वारा यदि किसी प्रकार की लाबिंग/दबाव या किसी तरह से निर्णय को प्रभावित करने वाले प्रयास को अयोग्यता की श्रेणी में रखा जाएगा।
25. जिन पुस्तकों को क्रय किया जायेगा उन पर प्रकाशक को न्यूनतम राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता के नियमानुसार छूट देना अनिवार्य होगा।

• 1 से 10 प्रतियां	–	10 प्रतिशत छूट
• 11 से 25 प्रतियां	–	15 प्रतिशत छूट
• 26 से 100 प्रतियां	–	20 प्रतिशत छूट
• 101 से 200 प्रतियां	–	25 प्रतिशत छूट
• 201 से 500 प्रतियां	–	30 प्रतिशत छूट
• 501 से अधिक	–	35 प्रतिशत छूट

26. वेब साईट पर अपलोड होने के दिनांक से 05 दिवस के भीतर कोई समस्या/सुझाव कार्यालयीन ई–मेल आइडी mis.head@gmail.com के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। किसी भी समस्या/सुझाव के संबंध में प्रबंध सचांलक, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम होगा।

प्रबंध संचालक
समग्र शिक्षा
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट–पाँच

पेनड्राइव एवं प्रति हार्ड कापी में प्रकाशक एवं पुस्तक के संबंध में दिये जाने वाले विवरण का प्रारूप (A-3 साइज में)

मोबाईल नं.–

ईमेल आईडी–

प्रकाशक का नाम	पूर्ण पता	क्रम संख्या	विषय	आई.एस.बी.एन.नं.	पुस्तक का नाम	भाषा (छत्तीसगढ़ी/हिन्दी/छ.ग. की जनजातिय भाषा)	लेखक का नाम	पृष्ठ संख्या	मूद्रित मूल्य	प्रकाशन वर्ष	हार्ड बाउंड/पेपर बैक	पुस्तक स्तर I-V, VI-VIII, IX-XII	उपयोग किये गये कागज का प्रकार कव्हर पृष्ठ व भीतरी पृष्ठ	2022–23 में नमूना प्रति में जमा की गई पुस्तकों के अतिरिक्त नयी पुस्तक हो तो उल्लेख करें (जमा/नया)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

सील एवं हस्ताक्षर

राज्य परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

द्वितीय तल, छ.ग. माध्य. शिक्षा मण्डल परिसर,
पेंशन बाड़ा, रायपुर, फोन नं. 0771–2445052
ई–मेल आई.डी.– mis.head@gmail.com

समग्र शिक्षा के अंतर्गत सत्र 2023–24 में राज्य के शासकीय प्राथमिक (कक्षा 1–5), उच्च प्राथमिक (कक्षा 6–8) एवं हाई/हायर सेकेण्डरी (कक्षा 9–12) विद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें क्रय करने हेतु प्रकाशित विज्ञापन के संबंध में

आवेदन पत्र डाक/कोरियर अथवा स्वयं के द्वारा जमा करते समय निर्देश

नोटः– बड़ा लिफाफा के अन्दर लिफाफा 01, लिफाफा 02 एवं लिफाफा 03 (पुस्तकों का बण्डल)

लिफाफा–01

क्र.	दस्तावेज	प्राप्त/अप्राप्त
1	परिशिष्ट 1,2,5 पूर्णतः भरे हुए एवं पेनड्राइव व हार्डकापी– 3 प्रतिषों में एवं फर्म पंजीयन की प्रति	
2	पुस्तक का आई.एस.बी.एन./आई.एस.एस.एन. नबंर से संबंधित दस्तावेज	
3	**GST** का पंजीयन/शपथ पत्र	
4	प्रकाशकों को आवेदन पत्र के साथ वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 कर निर्धारण वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 क्रमशः का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित	
5	फर्म का शपथ–पत्र	
6	प्रकाशन कार्य का अनुभव (कम से कम 05 वर्ष) (परिशिष्ट–2)	
7	फर्म द्वारा शासकीय संस्था में पूर्व में आपूर्ति करने का आदेश की प्रति	

लिफाफा–02

क्र.	दस्तावेज	प्राप्त/अप्राप्त
1	राशि रू. 1,00,000.00 (अक्षरी 01 लाख) का डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी के पीछे फर्म नाम, पता एवं मो.नं./फोन नं. लिखा हुआ)	
2	राशि रू. 150.00 प्रति पुस्तक की दर से समीक्षा शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट (डी. डी. के पीछे फर्म नाम व पता लिखा हुआ)	
3	राशि रू. 1000.00 का आवेदन पत्र मूल्य का ड्राफ्ट (डी.डी के पीछे फर्म नाम, पता एवं मो.नं./फोन नं. लिखा हुआ)	
4	लिफाफा–2 (प्रत्येक लिफाफे पर स्पीड पोस्ट की राशि का टिकट लगा हुआ)	

लिफाफा–03 (पुस्तकों का बंडल)

क्र.	दस्तावेज	प्राप्त/अप्राप्त
1	पुस्तकें अधिकतम 15–15 प्रति पुस्तक 02 सेट	

टीपः– उपरोक्त दस्तावेजो में कमी/अपूर्ण होने पर परीक्षण समिति द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रकाशक की होगी एवं प्रकाशक द्वारा किसी प्रकार का दावा नही किया जा सकेगा।

प्रबंध संचालक
समग्र शिक्षा
रायपुर, छत्तीसगढ़